

NR- 959

मा0 न्यायालय का आदेश/शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/ई-मेल

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तर

प्रदेश।

रावर-2, राप्तम् त्त, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

संख्या:डीजी-आठ ०५(३५)२०२२

दिनांक:लखनऊ: मितम्बर २०, २०२२

सेवा में.

- 1- समस्त पुलिस आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय:

रिट याचिका संख्या-16150 (PIL) of 2020 Suo Moto In Re: Right to decent and dignified last/cremation Vs. State of U.P. के सम्बन्ध में SOP निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० सहित समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकार/पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित श्री राजेश कुमार राय, विशेष सचिव, गृह(पुलिस)अनुभाग-12, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2111/छ:-पु०-12-2022-रिट (186)डी/20 दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम रिट याचिका संख्या-16150 (PIL) 2020 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 में दिये गये सुझावों के अनुपालन में तैयार कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत शवों के निस्तारण के विषय में सामान्य मार्ग निर्देश (SOP) में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से सम्यक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

( प्रशान्त कुमार )

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नांकित अधिकारियों को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 ममग्रत जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकांष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ

संलग्नक: यथोपरि।

-----

फैक्स/समयबद्ध

कोर्ट केस (हाथरस प्रकरण)

(44)

संख्या- 2111 / 18-9-2022-रिट(186)डी/20

17/09/22

4  
18/9

4  
17/8

प्रेषक,

राजेश कुमार राय  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- पुलिस महानिदेशक,  
उ०प्र० लखनऊ
- 2- समस्त मण्डलायुक्त / पुलिस कमिश्नर  
कमिश्नरेंट, लखनऊ / कानपुर नगर / गौतमबुद्ध नगर / वाराणसी
- 3- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक

ADG Crime

Ra

ADG/GSO

गृह(पुलिस) अनुभाग-12

लखनऊ: दिनांक: 16, सितम्बर, 2022

16/9/22

विषय: रिट याचिका संख्या-16150 (PIL) of 2020 Suo Moto In Re: Right to decent and dignified last rites / cremation Vs. State of U.P. के सम्बन्ध में SOP निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

नहोदय,

उपर्युक्त रिट याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 05.08.2022 में दिये गये सुझावों के अनुपालन में तैयार कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत शवों के निस्तारण के विषय में सामान्य मार्ग-निर्देश (SOP) की सरकारी गजट उ०प्र० में प्रकाशित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए नुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया उक्त SOP में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।  
संलग्नक 4थी/22

SP Crime

भवदीय,

16.9.2022  
(राजेश कुमार राय)  
विशेष सचिव।  
2

H

17/9/22

He-VII  
पुलिस अधीक्षक, अपराध  
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,  
उ०प्र०, लखनऊ 18/9/22



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022

भाद्रपद 24, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-12

संख्या 2049 / 6-पु0-12-2022-रिट(186)डी-2020  
लखनऊ, 15 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-505

जनहित याचिका संख्या 16150 (PIL) of 2020 *Suo Moto* In Re: Right to decent and dignified last rites / cremation Vs. State of U.P. and others के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत शवों के निस्तारण के विषय में उल्लेखनीय है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी बना रहता है। मानव शरीर की गरिमा अक्षुण्ण बनाये रखने के मौलिक आशय के साथ-साथ लोक एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक प्रकरणों एवं दुर्घटनाओं से सम्बद्ध मृत शरीर के ससम्मान व परम्परागत रीति रिवाज के साथ अन्त्येष्टि संस्कार किया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में सामान्यतः निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते हैं:-

(1) मृतक का अन्त्येष्टि कार्यक्रम यथासंभव उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही किया जाए। यदि मृत्यु किसी दुर्घटना या पुलिस प्रकरण से सम्बन्धित है, जिसमें पोस्टमार्टम किया जाना अनिवार्य हो तो पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार के सदस्यों को प्रारूप-01 के अनुसार संलग्न सहमति प्रपत्र की प्राप्ति के उपरान्त सौंप दिया जाए और शव प्राप्ति की स्वीकारोक्ति भी प्राप्त कर ली जाएगी।

(2) यदि पोस्टमार्टम के बाद शव एम्बुलेंस / शव वाहन से भेजा जाना हो तो एम्बुलेंस में मृतक के परिवार के कम से कम दो सदस्यों को अवश्य बैठने दिया जाएगा।

परन्तु जहाँ मृतक का कोई परिजन न हो या उसे आहूत करने में इतना विलम्ब कारित होना अधिसम्भाव्य हो जो शव प्रबंधन नियमों को प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो तो, इस आशय का लिखित उल्लेख करते हुए यथास्थिति पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जैसा परिस्थितियों के अनुसार उन्हें युक्तियुक्त प्रतीत हो, समुचित दिशा-निर्देशों के साथ उक्त वाहन में न्यूनतम दो पुलिस/राजस्व विभाग के कर्मी शव के साथ बैठाये जाने सम्बन्धी आदेश पारित

किया जाएगा। तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त आदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से संचारित किया जा सकेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication), प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा।

(3) परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाए कि वो शव की सराम्मान अन्त्येष्टि शव प्रदत्ति के उपयुक्त स्थानों पर करें। यदि किसी अपरिहार्य कारण से विलम्ब संभावित हो तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसील अथवा क्षेत्राधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक) / थाना प्रभारी को सुविधाजनक रीति से यथा एमएम्एमएम्एम, व्हाट्सएप संदेश द्वारा सूचित/संचारित करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे अधिकारियों, विद्वानों की सूचना दी जानी है, के सम्पर्क स्रोत (दूरभाष नम्बर / मोबाईल नम्बर आदि) का विवरण विधिवत प्रकाशित व प्रसारित कराएंगे। उक्त उद्देश्य हेतु SOP में वर्णित प्राविधानों (Modalities) से विचलन की दशा में जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस (यथा समक्ष पुलिस कमिश्नर/जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक) को सुविधाजनक रीति से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्यतः सूचित/संचारित किया जायेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication), प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा।

(4) परिवार को शव सौंपते समय परिजनों से उक्त प्रारूप-01 पर इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए कि वो शव को पोस्टमार्टम हाऊस से सीधे अपने घर ले जाएंगे तथा स्थापित रीति रिवाज के अनुसार संस्कारोपरान्त सीधे अंत्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे। वे बीच रास्ते में कहीं भी शव रखकर भीड़ एकत्रित करने, जाम लगाने अथवा किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार लोक एवं शान्ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देंगे।

(5) यदि परिजन द्वारा स्वयं अथवा भीड़ एकत्रित कर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे शव का अपमान मानते हुए तदनुसार उनके विरुद्ध निवारक एवं सुसंगत दण्डिक विधियों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार यदि कोई संगठन या समूह शव को लेकर लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कोई कार्यवाही करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(6) मृतक की अन्त्येष्टि यथासंभव परिजन द्वारा ही की जाए, परन्तु यदि परिजन द्वारा किन्हीं कारणों से मृतक का शव लेने या अन्त्येष्टि करने से इन्कार करने, विलम्ब या अन्य कारणों से शव के खराब होने अथवा लोकव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना के कारण प्रशासन द्वारा शव निस्तारण की स्थिति आती है, तो प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा स्वयं व स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से सर्वप्रथम परिजनों को समझाने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

(7) प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण व स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उपरोक्तानुसार समझाने के प्रयासों के बावजूद भी यदि परिजन किसी भी दशा में अन्त्येष्टि हेतु तैयार नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में पाँच स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों, जिनमें मृतक के समुदाय के भी व्यक्ति सम्मिलित हो, को पंच बनाकर सम्पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये पंचनामा संलग्न प्रारूप-02 के अनुसार तैयार किया जायेगा। उक्त पंचनामा चार सदस्यीय समिति (जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा सदस्य पुलिस क्षेत्राधिकारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष व मौके पर उपलब्ध राजस्व विभाग का कोई अधिकारी हो) को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि अन्त्येष्टि न होने के कारण लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से परिवार की सहमति के बगैर अन्त्येष्टि करने का निर्णय लोक व्यवस्था की संरक्षा तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व जान माल की सुरक्षा के लक्ष्य को अन्य समस्त परिस्थितियों पर अधिभाषिता प्रदान करते हुए लिया जा सकेगा। शव का अंतिम संस्कार मृतक के धर्म/पथ / मजहब व परम्परानुसार समस्त रीति रिवाजों व अनुष्ठानों का अनुपालन करते हुये सराम्मान उक्त समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार किया जाएगा एवं कृत कार्यवाही का प्रमाण-पत्र समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) अंतिम संस्कार दिन में ही किया जाये, परन्तु यदि उपर्युक्त वर्णित किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में अन्त्येष्टि रात्रि में की जानी आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मृतक के धर्म, रीति रिवाज या परम्परा में यह अनुमत्य हो अथवा मृतक के परिवार के सदस्य ने रात्रि में अन्त्येष्टि हेतु अनुमति दी हो। उचित अन्त्येष्टि धर्म, रीति-

रिवाज अथवा परम्परा से पृथक कोई निर्णय लिया जाना हो तो उपरोक्त समिति इस विषय में ऐसी अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अपनी आख्या पुलिस कमिश्नर (कमिश्नरी जिले में) / जिला मजिस्ट्रेट से अनूत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उक्त साक्ष्य-अधिकारी ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति के विषय में अपनी विषयगत व विवेकपूर्ण राय/सिफारिश अंकित करते हुए निर्णय लेंगे। इस विषय में पुलिस कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त संभाव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप्प के माध्यम से संचारित किया जा सकेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication), प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा।

(9) उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान लोक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, प्रारम्भ से अन्त तक अन्वेषि की कार्यवाही की फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करायी जाए तथा उक्त फोटोग्राफ/ वीडियो क्लिप उक्त समिति के अध्यक्ष के पास तथा एक प्रति पुलिस कमिश्नर/ जिला मजिस्ट्रेट के पास भी सुरक्षित रखी जाए। इसे वीडिंग (नष्ट किये जाने) के सामान्य प्राविधानों से पृथक रखा जाएगा।

(10) उपरोक्तानुसार अपराध / दुर्घटना के शिकार अदावाकृत व अचिन्हित शवों की अन्वेषि, स्थापित धार्मिक रीति रिवाज व परम्परानुसार किये जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय आधार पर पंडित / मौलवी / गुरुद्वारा पुजारी आदि की तहसीलवार सूची तैयार की जाएगी और यह सूची राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों जैसे स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत आदि को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता से अन्वेषि कार्यक्रम संपन्न किया जा सके। अदावाकृत शवों की दशा में मृतक के वस्त्रों को एकत्र कर उसकी जाँच की जानी चाहिए और लावारिस शवों को स्थापित मानकों के अनुसार सुरक्षित परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाना चाहिए। स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ऐसे प्रकरणों में गैर शिनाख्त व अदावाकृत शवों की अन्वेषि हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट से धन की व्यवस्था कर सकती है।

(11) यदि किन्हीं परिस्थितियों में मृतक (गैर शिनाख्त एवं अदावाकृत शव) के धर्म का विनिश्चय, उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन, 1861 के प्रस्तर- 135 ए के प्राविधानों के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद भी नहीं किया जा पा रहा हो तो पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्गत सर्कुलर दिनांक- 08/02/2019 के अनुसार सोशल मीडिया की भी सहायता ली जाए तथा स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाले तथा व्यापक प्रसार वाले दो प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में इस अज्ञात की सूचना प्रकाशित कराई जाए। यदि उक्त प्रक्रिया के अनुपालन के बाद भी शव के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो शव का निस्तारण शालीनता एवं गरिमापूर्ण रीति से, जैसा कि पुलिस कमिश्नर/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझा जाये किया जायेगा, प्रकरण पर अपनी कारण सहित विषयगत संतुष्टि अंकित करते हुए शव निस्तारण की रीति का निर्धारण करेंगे तथा ऐसे तथ्य भी अंकित करेंगे, जिनके आधार पर उन्होंने मृतक के धर्म का निर्धारण किया है। ऐसी अन्वेषि (दाहसंस्कार / दफन) कार्यक्रम की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी कराई जायेगी और इसका रिकार्ड सुरक्षित रखा जाएगा। उक्त परिस्थिति में किया जाने वाला दाह संस्कार उपलब्धतानुसार इलेक्ट्रॉनिक दाह रीति से किया जाएगा और उसके अवशेष (अस्थि / राख आदि) सुरक्षित रखे जायेंगे।

(12) यदि किसी परिस्थिति में उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन, 1861 के प्रस्तर- 135 ए, सहपठित सर्कुलर दिनांक 08.02.2019 के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही (व्यापक प्रचार-प्रसार / सोशल मीडिया / दो समाचार-पत्रों में प्रकाशन आदि) किए जाने के पश्चात भी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) की पहचान नहीं हो पा रही है तथा शव के स्वराय होने (सड़ने / गलने) की सम्भावना हो तो शव का निस्तारण मानवीय तथा गरिमा पूर्ण रीति से "दफन" रीति से किया जायेगा ताकि किसी भी समय जाँच/ विवेचना में कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्य / साक्ष्य प्राप्त किये जाने अथवा बाद के चरणों में किसी समय द्वितीय शव परीक्षण कराये जाने की स्थिति में शव कब्र से वापस निकाला जा सके। ऐसे "दफन" की पूरी प्रक्रिया शालीनता व गरिमापूर्ण रीति से की जायेगी तथा इसकी अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करा कर रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा।

(13) किसी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) के प्रकरण में यदि कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि मृतक के शव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य / साक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं, तो इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित फोरेंसिक टीम को शामिल करते हुए पोस्टमार्टम के समय ही इसके प्रयास किये जायें। यदि फोरेंसिक टीम अनुपलब्ध है अथवा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधनों से रहित है तो विशेषज्ञ टीम के आने व साक्ष्य प्राप्त करने तक अथवा

अधिकतम 03 दिन तक (जो भी पहले हो) शव को सुरक्षित रखा जाए। मॉर्चरी के कर्मचारियों को मानक का पालन करना चाहिए और शवों को किसी भी तरह के क्षय या क्षति से बचाने के लिए यथावश्यकता डीप फ्रीजर अथवा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर ठंडे कक्षों में संग्रहित किया जाना चाहिए।

यदि मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा शव के द्वितीय शव परीक्षण की मांग की जाती है तो इसके लिए उनसे संलग्न प्रारूप-03 पर लिखित अनुरोध प्राप्त कर लिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में शव का निस्तारण "दफन" रीति से किया जाएगा अथवा तब तक शवगृह (मॉर्चरी) में सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि परिवार के सदस्य सम्बन्धित विवेचनाधिकारी अथवा न्यायालय से द्वितीय शव परीक्षण हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर देते हैं।

(14) शवों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया का उक्त के अक्षर और भाव में राज्य के उन सभी लोकसेवकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा जो उपरोक्त श्रेणी के शवों की अन्त्येष्टि क्रिया से संसक्त हैं।

(15) शवों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया का पुलिस थानों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला मुख्यालयों, कलेक्ट्रेट, तहसीलों आदि में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिसूचित होने के बाद संबंधित हितधारक इन मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत हो सकें।

(16) राज्य सरकार द्वारा शवों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया राजकीय गजट में प्रकाशन के माध्यम से अधिसूचित की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

श्री राज्यपाल के आदेश से,  
संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव।

## सहमति प्रपत्र

हम परिवारीजन यह सहमति प्रदान करते हैं कि हम शव को पोस्टमार्टम हाऊस से सीधे अपने घर ले जाएंगे तथा स्थापित रीति-रिवाज के अनुसार संस्कार करने के पश्चात् सीधे अन्त्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे। बीच रास्ते में कहीं भी शव रखने, भीड़ एकत्रित करने, जाम लगाने, किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन करने तथा किसी भी प्रकार कानून एवं शान्ति व्यवस्था अथवा लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने जैसी कार्यवाही नहीं करने और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सड़क, किसी लोक स्थान या लोकमार्ग पर शव रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे हमारी सहमति से ही किया जाना माना जायेगा। अतः हमें स्व०..... के पार्थिव शरीर को अन्तिम संस्कार हेतु ले जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

परिवारीजन का नाम .....

हस्ताक्षर एवं दिनांक .....

पता .....

.....

## पंचनामा प्रपत्र

- 1- मृतक का नाम.....
- 2- धर्म.....
- 3- मृत्यु का दिनांक एवं परिस्थितियाँ.....  
.....
- 4- मृतक की उम्र (लगभग).....
- 5- पंच सदस्य / परिजन का नाम एवं पता.....  
.....  
.....
- 6- अन्य सुसंगत विवरण-
- 7- पंचनामा समिति का सुझाव एवं हस्ताक्षर -----



द्वितीय शव परीक्षण हेतु आघेदन पत्र

सेवा में,

पुलिस कमिश्नर/ जिला मजिस्ट्रेट,  
जनपद .....

दिनांक.....

महोदय

निवेदन है कि मेरे परिवार के श्री..... की हत्या / संदिग्ध मृत्यु दिनांक .....  
को हो गई है। जिसका शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) भी दिनांक..... को किया जा चुका है। हम [ इस कारण  
से.....(यहाँ कारण का विधिवत उल्लेख किया जाए) मृतक का द्वितीय शव परीक्षण कराना चाहते हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया मृतक श्री ..... का द्वितीय शव परीक्षण (पोस्टमार्टम)  
चिकित्सकों की विशेष टीम से कराने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।

प्रार्थी

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

मृतक से सम्बन्ध.....

16/1

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुरिसा) अनुभाग-12  
संख्या- 2049 /G-PU-12-2022-रिट(186)डी/2020  
तारखतः दिनांक 15/9/2022

अधिसूचना

सनाहेत अधिका संख्या-16150 (PIL) of 2020 Sub Moto In Re Right to decent and dignified last rites / cremation Vs State of UP and others के सम्बन्ध में मांग उच्च न्यायालय लखनऊ के वेद, लखनऊ के द्वारा प्रेषित प्रश्नों के अनुपालन में कायम रूप में अधिसूचना के द्वारा शरीर के अन्तर्गत के विषय में उल्लेखनीय है कि परिष्कारित शरीर का अन्तिम अंश की मृत्यु के बाद भी बना रहता है। मानव शरीर की मृगया अदाएण बनाये रखने के मानविक आशय के साथ साथ एक पुरुष शान्ति तथा श्रद्धा बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक प्रवृत्तियों एवं दुर्घटनाओं से सम्बद्ध मृत शरीर के सम्मान व सम्मानित शिवाज के साथ अन्त्येष्टि संस्कार किया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में सामान्यतः निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्त अधिसूचना के द्वारा किये जाते हैं।


(1) मृतक का अन्त्येष्टि कार्यक्रम यथासंभव उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही किया जाए। यदि मृत्यु किसी दुर्घटना या पुलिस प्रकरण से सम्बन्धित है, जिसमें पोस्टमार्टम किया जाना अनिवार्य हो तो पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार के सदस्यों की प्राप्ति के अनुसार संलग्न सहमति प्रपत्र की प्राप्ति के उपरान्त सौंप दिया जाए और शव प्राप्ति की स्वीकारोक्ति भी प्राप्त कर ली जाएगी।

(2) यदि पोस्टमार्टम के बाद शव एम्बुलेंस / शव वाहन से भेजा जाना हो तो एम्बुलेंस में मृतक के परिवार के कम से कम दो सदस्यों को अवश्य बैठने दिया जाएगा।

परन्तु जहाँ मृतक का कोई परिजन न हो या उसे आहत करने में इतना विलम्ब कारित होना अधिसम्भाव्य हो जाय शव प्रबंधन नियमों को प्रतिबन्धित प्रभावित करता हो तो, इस आशय का लिखित उल्लेख करते हुए यथास्थिति पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जहाँ पारिवारिकों के अनुसार उन्हें युक्तियुक्त प्रतीत हो, समुचित दिशा निर्देशों के साथ उक्त वाहन में न्यूनतम दो पुलिस अधिकारियों के साथ शव के साथ ब्रीडायें जाने सम्बन्धी आदेश पारित किया जाएगा। तात्कालिकता के दृष्टिकोण से उक्त आदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से संचारित किया जा सकेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्रयोग के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication), प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा।

(3) परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाए कि वो शव की सम्मान अन्त्येष्टि शव प्राप्ति के उपरान्त यथार्थाघ्न कर दें। यदि किसी अपरिहार्य कारण से विलम्ब सम्भावित हो तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार अथवा क्षेत्राधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक) यथा प्रभावी सुविधाजनक रीति से यथा एस०एम०एस०, व्हाट्सएप संदेश/ द्वारा सूचित/ संचारित करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे अधिकारियों, जिन्हें विलम्ब की सूचना दी जानी है, के सम्पर्क बॉल (दूरभाष नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि) का विवरण विधिवत प्रकाशित व प्रसारित कराएँ। उक्त उद्देश्य हेतु SOP में वर्णित प्राविधानों (Modalities) के विचलन की दशा में जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस (यथा समक्ष पुलिस कमिश्नर/जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक) को सुविधाजनक रीति से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्यतः सूचित/ संचारित किया जायेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्रयोग के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication), प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा।

Imp  
Hc-VII



Arne

50  
12

ime

1619  
निदेशक (आपराध)  
1. लखनऊ  
19/22

(4) परिवार को शव सौंपते समय परिजनों से उक्त प्रारूप-1 पर इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए कि बां शव को पोस्टमार्टम हाऊस से सीधे अपने घर ले जाएंगे तथा स्थापित रीति रिवाज के अनुसार संस्कारोपगत सीधे अंत्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे। वे बीच रास्ते में कहीं भी शव रखकर भीड़ एकत्रित करने, जाप लगाने अथवा किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे विरसों भी प्रकार लोक एवं शान्ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देने।

(5) यदि परिजन द्वारा स्वयं अथवा भीड़ एकत्रित कर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे मृतक का सम्मान मानते हुए मृतक/उनके विरसों के विरुद्ध निवारक एवं सुगठित दण्डिक विधियों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाए। इस प्रकार यदि कोई संगठन या मृतक शव को लेकर लोक व्यवस्था के प्रतिभूत कोई कार्यवाही करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(6) मृतक की अन्त्येष्टि एकासभव परिजन द्वारा ही की जाए, परन्तु यदि परिजन द्वारा किन्हीं कारणों से मृतक का शव लाने या अंत्येष्टि करने से इनकार करने, विलम्ब या अन्य कारणों से शव के खराब होने अथवा लोकव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना के कारण प्रशासन द्वारा शव निस्तारण की स्थिति आती है, तो प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा स्वयं व स्थानीय प्रतिभूत व्यक्तियों के माध्यम से सर्वप्रथम परिजनों को समझाने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

(7) प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण व स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उपरोक्तानुसार समझाने के प्रयासों के बावजूद भी यदि परिजन किसी भी दशा में अंत्येष्टि हेतु तैयार नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में पांच स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों, जिनमें मृतक के समुदाय के भी व्यक्ति सम्मिलित हो, को पंच बनाकर सम्पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये पंचनामा संलग्न प्रारूप-02 के अनुसार तैयार किया जाएगा। उक्त पंचनामा चार सदस्यीय समिति (जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा सदस्य पुलिस क्षेत्राधिकारी सम्बन्धित थाना-उपक्ष व मॉक पर उपलब्ध राजस्व विभाग का कोई अधिकारी हो) को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि अन्त्येष्टि न होने के कारण लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से परिवार की सहमति के बगैर अन्त्येष्टि करने का निर्णय लोक व्यवस्था की संरक्षा तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व मान मान की सुरक्षा के लक्ष्य को अन्य समस्त परिस्थितियों पर अधिभाविता प्रदान करते हुए लिया जा सकेगा। शव का अंतिम सम्मान मृतक के धर्म पंथ भ्रजहव व परम्परानुसार समस्त रीति रिवाजों व अनुष्ठानों का अनुपालन करते हुये सम्मान उक्त समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार किया जाएगा एवं कृत कार्यवाही का प्रमाण पत्र समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) अंतिम संस्कार दिन में ही किया जाये, परन्तु यदि उपर्युक्त वर्णित किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में अंत्येष्टि रात्रि में की जाना आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मृतक के धर्म, रीति रिवाज या परम्परा में यह अनुमन्य हो अथवा मृतक के परिवार के सदस्य ने रात्रि में अंत्येष्टि हेतु अनुमति दी हो। यदि स्थापित धर्म, रीति रिवाज अथवा परम्परा से पृथक कोई निर्णय लिया जाना हो तो उपरोक्त समिति इस विषय में ऐसी अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अपनी आख्या पुलिस कमिश्नर (कमिश्नर जिले में) / जिला मजिस्ट्रेट से अन्याय अधिकारों के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उक्त सक्षम अधिकारी ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति के विषय में अपनी विषयगत व विवेकपूर्ण सतुष्टि अंकित करते हुए निर्णय लेंगे। इस विषय में पुलिस कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त संव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा ई-मेल या दूरभाषण के माध्यम से संचारित किया जा सकेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) अन्तम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication), प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान लोक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, प्रायः में अन्य तब अन्येष्टि की कार्यवाही की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करावी जाए तथा उक्त फोटोग्राफ, वीडियो विलय उक्त मणिति के अध्यक्ष के पास तथा एक प्रति पुलिस क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट के पास भी सुरक्षित रखी जाए। इसे वीडियो (नाए किये जाने) के सामान्य प्राविधानों से पृथक रखा जाएगा।

(10) उपरोक्तानुसार अपराध / दुर्घटना के शिकार अदावाकृत व अग्निगत शवों की अन्वेषि, स्थापित धार्मिक रीति रीवाज व परम्परानुसार किये जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय आधार पर पंडित / मौलवी / गुरुद्वारा पुनामी आदि की तदर्थीत्ववार सूची तैयार की जाएगी और यह सूची राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों जैसे स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत आदि को भी संबन्धित कराई जाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता से अन्वेषि कार्यक्रम संपन्न किया जा सके। अदावाकृत शवों की दशा में मृतक के शरीर को एचए कर उसकी जांच की जानी चाहिए और लावारिम शवों को स्थापित मानकों के अनुसार सुरक्षित परिस्थितियों में सुरक्षित रचना जाना चाहिए। स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ऐसे प्रकरणों में गैर शिनाख्त व अदावाकृत शवों की अन्वेषि हेतु गैर सरकारी शरण आडरिटि बजट से धन की व्यवस्था कर सकती है।

(11) शरीर चिन्तो परिस्थितियों में मृतक (गैर शिनाख्त एवं अदावाकृत शव) के धर्म का विनिश्चय, उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन 1861 के प्रस्तर- 135 ए के प्राविधानों के तहत व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद भी नहीं किया जा पा रहा हो तो पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्रग विभागत सर्कुलर दिनांक- 08.02.2019 के अनुसार सोशल मीडिया की भी सहायता ली जाए तथा स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाले तमाम व्यापक प्रसार वाले शो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित कराई जाए। यदि उक्त प्रक्रिया के अनुपालन के बाद भी शव के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो शव का निस्तारण शालीनता एवं गरिमापूर्ण रीति से, जैसा कि पुलिस क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझा जाये किया जायेगा, प्रकरण पर अपनी कारण सहित विषयगत संतुष्टि अंकित करते हुए शव चिन्तो की रीति का निर्धारण करेंगे तथा ऐसे तथ्य भी अंकित करेंगे, जिनके आधार पर उन्होंने मृतक के धर्म का निर्धारण किया है। ऐसे अन्वेषि (दाहसंस्कार / दफन) कार्यक्रम की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी कराई जायेगी और इसका रिकार्ड सुरक्षित रखा जाएगा। उक्त परिस्थिति में किया जाने वाला दाह संस्कार उपलब्धतानुसार इलेक्ट्रानिक दाह रीति से किया जाएगा और उसके अवशेष (अस्थि गूथ आदि) सुरक्षित रखे जायेंगे।

(12) यदि किसी परिस्थिति में उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन 1861 के प्रस्तर- 135 ए, सहपठित सर्कुलर दिनांक 08.02.2019 के प्राविधानों के अनुसंध कार्यवाही (व्यापक प्रचार प्रसार / सोशल मीडिया / दो समाचार पत्रों में प्रकाशन आदि) किए जाने के पश्चात भी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) की पहचान नहीं हो पा रही है तथा शव के खराब होने (सड़ने / गलने) की सम्भावना हो तो शव का निस्तारण शालीनता तथा गरिमा पूर्ण रीति में "दफन" रीति से किया जायेगा ताकि किसी भी समय जांच विवेचना में कुछ विनिष्ट महत्वपूर्ण तथ्य साक्ष्य प्राप्त किये जाने अथवा बाद के चरणों में किसी समय द्वितीय शव परीक्षण कराये जाने की स्थिति में शव ऋज से वापस निकाला जा सके। ऐसे "दफन" की पूरी प्रक्रिया शालीनता व गरिमापूर्ण रीति से की जायेगी तथा इसकी अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करा कर रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा।

(13) किसी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) के प्रकरण में यदि कभी ऐसी परिस्थितियों बनती है कि मृतक के शव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं, तो इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित फॉरेंसिक टीम को शामिल करते हुए पोस्टमार्टम के समय शव के प्रदान किये जायें। यदि फॉरेंसिक टीम अनुपलब्ध है अथवा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधनों से रहित है तो विशेषतः टिम के आने व साक्ष्य प्राप्त करने तक अथवा अधिकतम 03 दिन तक (जो भी पहले हो) शव को सुरक्षित रखा जाए। मॉर्चरी के अन्वेषियों को मानक का पालन करना चाहिए और शवों को किसी भी तरह के क्षय या क्षति से बचाने के लिए यथावश्यकता डॉप ट्रीट अथवा त्वगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर ठंडे कक्षों में संग्रहित किया जाना चाहिए।

यदि मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा शव के द्वितीय शव परीक्षण की मांग की जाती है तो इसके लिए उनसे सतम प्रारूप 03 पर निविष्ट अनुसंध प्राप्त कर लिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में शव का निस्तारण "दफन" रीति से किया जाएगा अथवा तब तक

शान्ति (गौरी) में सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि परिवार के सदस्य सामन्धिल विधेयनाधिकारी अथवा न्यायालय से द्वितीय शक्त प्राप्त हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर देते।


(14) शकों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया का उक्त के अलावा और भाग में राज्य के उभ सभी लोअरसेक्वों द्वारा कंशई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा जो उपरोक्त श्रेणी के शकों की अन्त्येष्टि प्रिया में समक है।

(15) शकों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया का पुस्तक थाना, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला मुख्यालयों, कलेक्ट्रेट, तहसीलों आदि में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिसूचित होने के बाद संबंधित हितधारक इन मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत हो सकें।

(16) राज्य सरकार द्वारा शकों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया राजकीय गजट में प्रकाशन के माध्यम से अधिसूचित की जायेगी।

शान्ति-वार्ताक

श्री राज्यपाल के आदेश से,

  
(सचिव प्रशासन)


प्रमुख सचिव :

सं. 3049/11.6-20-12-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक वगैरयाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त।
- 3- समस्त पुलिस कमिश्नर, जनपद-कानपुर नगर, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी,।
- 4- समस्त जिलाधिकारी।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।
- 6- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उOप्रO लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 7- मुद्रण, अनुभाग-3
- 8- माल जइल।

आज्ञा से,

  
(राजेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

सहमति प्रपत्र

हम परिवारीजन यह सहमति प्रदान करते हैं कि हम शव को पोस्टमार्टम हाऊस से सीधे अपने घर ले जाएंगे तथा स्थापित रीति रिवाज के अनुसार संस्कार करने के पश्चात सीधे अन्त्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे। बीच रास्ते में कहीं भी शव रखने, भीड़ एकत्रित करने, जाम लगाने, किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन करने तथा किसी भी प्रकार कानून एवं शान्ति व्यवस्था अथवा लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने जैसी कार्यवाही नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सड़क, किसी लोक स्थान या लोकमार्ग पर शव रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इस हमारी सहमति से ही किया जाना माना जायेगा। अतः हमें स्व०..... के पार्थिव शरीर को अन्तिम संस्कार हेतु ले जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

परिवारीजन का नाम .....

हस्ताक्षर एवं दिनांक .....

पता .....

पचनामा प्रपत्र

1. मृतक का नाम.....

2. धर्म.....

3. मृत्यु का दिनांक एवं परिस्थितिया.....

4. मृतक की उम्र (लगभग).....

5. पंच सदस्य / परिजन का नाम एवं पता.....

6. अन्य सुसंगत विवरण-

7. पचनामा समिति का सुझाव एवं हस्ताक्षर---

द्वितीय शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

दिनांक-.....

पुलिस कमिश्नर / जिला मजिस्ट्रेट

जनपद-.....

महोदय,

निवेदन है कि मेरे परिवार के श्री..... की हत्या / संदिग्ध मृत्यु दिनांक-..... को हो गई है। जिसका शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) भी दिनांक-..... को किया जा चुका है। हम [ इस कारण से.....(यहाँ कारण का विधिवत उल्लेख किया जाए)] मृतक का द्वितीय शव परीक्षण करना चाहते हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया मृतक श्री ..... का द्वितीय शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) चिकित्सकों की विशेष टीम से कराने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।

प्रार्थी

नाम-.....

पिता का नाम-.....

पता-.....

मृतक से सम्बन्ध-.....